न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०
अपील संख्या :- **46/2018**
अपीलान्ट :-

1. लादुराम पुत्र श्री रामुराम जाति मेघवाल, निवासी नारायणपुरा तहसील कुचामन जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :-

1. तहसीलदार कुचामन जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री ईस्लामुदीन अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 84/2017 दिनांक 15.06.2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का नारायणपुरा बनाम श्रवणराम द्वारा न्यायालय तहसीलदार कुचामन अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- **04.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के प्रकरण संख्या 84/2017 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का नारायणपुरा बनाम श्रवणराम में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारायणपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कुचामन को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम नारायणपुरा के खसरा नंबर 196 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन गौचर भूमि में से रकबा 0.0360 हैक्टर भूमि पर सवंत 2074 के दौरान छान, छरडिया लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा ग्राम नारायणपुरा के खसरा नंबर 196 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन गौचर भूमि में से रकबा 0.0360 हैक्टर भूमि पर सवंत 2074 के दौरान छान, छरडिया लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्राथी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अत: अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर ग्राम नारायणपुरा के खसरा नंबर 196 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन गौचर भूमि में से रकबा 0.0360 हैक्टर भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 11/– अक्षरे ग्यारह रूपये कायम किया गया ।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

{3} 1. यह है कि उक्त जैर अपील आदेश प्रार्थी का नाम सरवणराम लिखा है जबकि अपीलार्थी का सही नाम लादुराम है, इसलिए अपील लादूराम के नाम से पेश है।

{3} 2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है अत: निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरित निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अत: निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 4. यह है अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है , निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 5. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है तथा अपीलांट/अप्रार्थी को साक्ष्य सबूत का अवसर भी नही दिया है इस कारण निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} 6. यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नही दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा न ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 7. यह है कि हल्का पटवारी नारायणपुरा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट पेश की गई है।

{3} 8. यह है कि अपीलार्थी ने खसरा नंबर 196 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है । हल्का पटवारी ने अपीलार्थी की जिस भूमि को अतिक्रमी माना है उस भूमि पर अपीलार्थी का छान-छप्पर एवं भूखण्ड के चारों और कच्ची बाड अपीलार्थी के पिता रामूराम के समय से ही लगभग 50 वर्षो से बनी है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है एवं अपने पशु भी यही पर रखता है । अपीलार्थी अपने अधिकारों से उक्त भूमि पर छान-छप्पर बनाकर निवास कर रहा है , यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी को उक्त भूमि में स्थित रहवासी छान-छप्पर से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलार्थी बेघर हो जायेगा तथा दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जायेगा, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर आदेश पारित किया जो है अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 9. यह है कि अपीलार्थी के खिलाफ राजनैतिक द्वेषता पूर्वक यह कार्यवाही की गई है। अपीलांट ने खसरा नं 196 गैर मुमकिन गौचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। हल्का पटवारी अपीलार्थी की जिस भूमि को गौचर की भूमि मानकर अतिक्रमी माना है उस भूमि पर अपीलार्थी व उसके पिता पिछले 50 वर्षो से कब्जा व स्वामित्व रहा है। जिससे भी अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना नहीं पाया जाता है जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्यायहित में है ।

{3} 10. यह है कि मौके पर अपीलांट द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{4} – उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 30.07.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

को दिनांक 03.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 15.06.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय, नकल अप्रार्थी जवाब की प्रतिलिपि पेश की है।

{5} – प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2018 को निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.07.2018 को पेश की गयी हैं। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी 04.07.2018 को नकले प्राप्त करने से हुयी है। अपीलार्थी को अज्ञानतावश अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने में देरी होने से प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} – बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने पिता के समय से ही पिछले 50 वर्षो से ही छान-छप्पर बनाकर रह रहा है। अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है तथा अपीलार्थी अपने पशु भीं यही रखता है।यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी को उक्त भूमि में स्थित रहवासी छान-छप्पर से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलार्थी बेघर हो जायेगा तथा दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जायेगा अपीलार्थी पर गलत इरादतन, राजनैतिक रंजिश वश यह कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलार्थी को बेदखल करना न्यायोचित नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्व मान्य सिद्धान्तों की अवहेलनापूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है।

{7} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नारायणपुरा की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम नारायणपुरा के खसरा नंबर 196 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में से रकबा 0.0360 हैक्टेयर भूमि पर सवंत 2074 के दौरान छान, छरडियो की बाड बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में अप्रार्थी का नाम सरवणराम लिखा है जबकि अपीलार्थी का सही नाम लादूराम है इसलिए अपील इस न्यायालय में लादूराम के नाम से प्रस्तुत की गई है परन्तु अप्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार कुचामन के समक्ष अपना जवाब भी सरवणराम के नाम से ही प्रस्तुत किया है जो पत्रावली में विसंगति को दर्शाता हैं परन्तु नाम की विसंगति अप्रार्थी/अपीलांट के अतिक्रमी नहीं होने को स्पष्ट नही करती है तथा अपीलार्थी स्वयं को अतिक्रमी स्वीकार करता है। पत्रावली का मुख्य बिन्दु सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है । अत: इस अपील में अप्रार्थी/अपीलांट का नाम लादूराम मानकर ही निर्णीत किया जाना उचित है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 15.05.20218 को अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरे पर कोई अतिक्रमण नही होना बताया किया है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने अधिकारों से ही उक्त भूमि पर छान-छप्पर बनाकर निवासरत होना बताया है। परन्तु अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससें अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई विधिक अधिकार स्पष्ट हो तथा अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी/अपीलांट ने राजकीय भूमि पर जानबूझकर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन गौचर भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार गौचर भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। गौचर भूमि पशुओं के चरने के लिए ही अलग से ग्राम में रखी जाती है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधी संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ग्राम नारायणपुरा के खसरा नंबर 196 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गौचर भूमि में से रकबा 0.0360 हैक्टेयर भूमि पर सवंत 2074 के दौरान छान, छरडिया की बाड बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही हाने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2018 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)